- स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (क्लिक करें)
- मुख्यमंत्री हाथ ठेला एवं रिक्शा चालक कल्याण योजना 2009 (क्लिक करें)
- मुख्यमंत्री शहरी घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना 2009 (क्लिक करें)

Lo.k t;rh 'kgjh jkstxkj ;kstuk

1- ik=rk dh 'krs %&

शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगो का स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के दिशा निर्देशो के अनुसार शहरी गरीब परिवारों का शासन के दिशा निर्देशो के अनुसार सर्वेक्षण कार्य कराया जाता है । योजना आयोग के द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार म.प्र. के शहरी इलाकों के लिए जिन परिवारों के प्रत्येक सदस्य की आय प्रति माह 481.65 से कम है उन परिवारों को गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला माना गया है ।

2- ;kstuk dk Lo:i %&

नगरीय निकाय क्षेत्रों में निवासरत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों हेतु राज्य शासन द्वारा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना लागू की गई है जिसमें निम्नलिखित हितग्राहीमूलंक योजनाएं संचालित है :–

(1) शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (ऋण प्रकरण)
(2) शहरी गरीबों को रोजगार वृद्वि हेतु कौशल प्रशिक्षण
(3) शहरी महिला स्वसहायता कार्यक्रम (आवर्ती निधि)
(4) शहरी महिला स्वसहायता कार्यक्रम (डब्का समूह) स्वर्ण जयंती योजना के अन्तर्गत शासन के दिशा निर्देशो के अनुसार नगरीय निकाय क्षेत्र में निवासरत परिवारों में से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का शासन के मापदण्ड अनुसार सर्वेक्षण कार्य कराया जाता है ।

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्र में निवासरत गरीब परिवारों को शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से पुरूष एवं महिलाओं को स्वरोजगार दिया जाकर उनका जीवन यापन सुलभ हो सके एवं उनका जीवन स्तर गरीबी रेखा से उपर उठ सकें ।

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत शहरी गरीब लोग जो कम से कम नवमी तक शिक्षा प्राप्त हो एवं उसकी आयु 18 से 55 वर्ष की हो । इस प्रकार शासन को हितग्राही मूलक योजना की पात्रता रखते है ।

3- ;kstuk dh rgr n; ykHk %&

(अ) **'kgjh Lojkstxkj dk;ZØe ¼_.k izdj.k½ %&** नगरीय क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने हेतु 2 लाख रूपये अधिकतम ऋण राशि उपलब्ध कराई जाती है। लागत का 25 प्रतिशत 50,000 रूपये अनुदान दिया जाता है एवं 5 प्रतिशत मार्जिन मनी हितग्राही को लगाना पडता है।

(ब) **'kgjh xjhcks dks jkstxkj o`f} gsrq dkS'ky izf'k{k.k %&** नगरीय क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को नगरीय निकाय क्षेत्र में व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है जिसमें बढईगिरी, नलसाजी, प्लंबर, बिजली मिस्त्री, टी.वी., रेफूजिस्स्टेर, कम्प्यूटर, सिलाई कढाई आदि में व्यवसायिक प्रशिक्षण आयोजित किये जाते है।

(स) **'kgjh efgyk Lolgk;rk dk;ZØe ¼vkorhZ fuf/k½ %&** नगरीय क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं को बचत करने हेतु 10 से 25 सदस्यों का बचत साख समितियों का गठन किया जाता है। महिला को अनिवार्य आवश्यकता की पूर्ति हेतु साहूकारों के शोषण से छुटकारा दिलाना, आर्थिक गतिविधियों में महिला की भागीदारी को बढावा देना, स्वास्थ्य शिक्षा सामाजिक गतिविधि आदि से समस्याओं पर विचार करना, महिलाओं के नेतृत्व का विकास करना एवं शासन की कल्याणकारी योजना से जोडना इस समूहों को एक

वर्ष बाद प्रति सदस्य 2,000 रूपये की राशि आवर्ती निधि के रूप में प्रदान की जाती है।

(द) 'kgjh efgyk Lo lgk;rk dk;Zde ¼MCdk lewg½ %& नगरीय क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले शहरी गरीबी महिलाओं को विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है, अलग–अलग स्वरोजगार स्थापित करने का प्रयास ना कर एक समूह के रूप में स्वरोजगार उद्यम स्थापित किया जाता है। शहरी क्षेत्रों में 10 महिलाओं के समूह गठित किये जाते है। शहरी क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों के उन्नति वाले दल (समूह) न्यूनतम 5 समूहों को परियोजना लागत का 35 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है एवं 5 प्रतिशत मार्जिन मनी उपलब्ध कराई जाती है।

4- xr o"kZ@bl o"kZ dk y{; %&

क.	योजना का नाम	लक्ष्य		उपलब्धि	
		वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक
1	शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (ऋण प्रकरण)	21.84	545	15.51	309
2	शहरी गरीबों को रोजगार वृद्वि हेतु कौशल प्रशिक्षण	22.14	369	7.22	321
3	शहरी महिला स्वसहायता कार्यक्रम (आवर्ती निधि)	11.56	46	1.80	13
4	शहरी महिला स्वसहायता कार्यक्रम (डब्का समूह)	12.51	04	––	06

foRrh; o"kZ 2010&11 dk y{; %&

क.	योजना का नाम	लक्ष्य		उपलब्धि	
		वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक
1	शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (ऋण प्रकरण)	11.25	45	–	–
2	शहरी गरीबों को रोजगार वृद्वि हेतु कौशल प्रशिक्षण	–	–	–	–
3	शहरी महिला स्वसहायता कार्यक्रम (आवर्ती निधि)	–	–	–	–
4	शहरी महिला स्वसहायता कार्यक्रम (डब्का समूह)	7.00	04	–	–

आवेदन पत्र के लिए यहॉ क्लिक करें ।

e[;e=h gkFk Bsyk ,o fjD'kk pkyd dY;k.k ;kstuk 2009

1- ik=rk dh 'krs %&

शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र से शहर में आकर साईकिल रिक्शा/हाथ ठेला चलाने वाले लोगो को स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनान्तर्गत लाभ दिये जाने का प्रावधान है ।

2- ;kstuk dk Lo:i %&

नगरीय निकाय क्षेत्र में पंजीकृत हाथ ठेला एवं साईकिल रिक्शा चालकों के समग्र कल्याण एवं पुनर्वास हेतु मुख्यमंत्री हाथ ठेला एवं रिक्शा चालक कल्याण योजना 2009 प्रारंभ की गई है । शासन द्वारा हाथ ठेला एवं साईकिल रिक्शा चालकों हेतु निम्नलिखित योजनाओं में लाभ प्रदान किया जाता है :-

¼v½ Lo.kZ t;arh 'kgjh Lojkstxkj ;kstuk %&

स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना के अंतर्गत पंजीबद्ध चालकों को मालिकाना हक दिये जाने के लिए स्वयं के रिक्शा एवं हाथ ठेला हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

क्रं.	योजना का नाम	लक्ष्य	प्रेषित प्रकरण	वितरित प्रकरण	ऋण	अनुदान
1	साईकिल रिक्शा चालक	300	291	224	11.20	11.20
2	हाथ ठेला चालक	200	86	48	0.96	1.92

¼fØ;kUo;u &uxjh; iz'kklu ,oa fodkl½

¼c½ izlfr lgk;rk %&

पंजीबद्ध हाथ ठेला एवं साईकिल रिक्शा चालक की पत्नि अथवा पंजीबद्ध महिला चालक को अधिकतम दो प्रसूतियों के लिए निर्धारित कलेक्टर दर पर छः माह की मजदूरी के समतुल्य राशि पितृत्व अवकाश के रूप में 15 दिन की मजदूरी के समतुल्य राशि एवं प्रसूति व्यय के लिए रूपये 1000/- नगद भुगतान किया जावेगा ।

¼fØ;kUo;u & yksd LokLF; ,oa ifjokj dY;k.k foHkkx½

¼l½ fookg lgk;rk %&

पंजीबद्ध चालको की दो पुत्रियों की सीमा तक न्यूनतम 5 कन्याओं के सामूहिक विवाह के आयोजन में रूपये 6000/- प्रति विवाह सहायता प्रदान की जावेगी । यदि परिवार मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में लाभ ले रहा है तो पात्रता नहीं रहेगी ।

¼fØ;kUo;u & lkekftd U;k; foHkkx½

¼n½ Nk=o`fRr@es/kkoh Nk= iq:Ldkj %&

पंजीबद्ध चालकों के बच्चों को ''मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना-2007'' में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप छात्रवृत्ति/मेधावी छात्र पुरूस्कार स्वीकृत किये जावेगें ।

¼fØ;kUo;u & vkfne tkfr ,oa Ldwy f'k{kk foHkkx½

¼b½ fpfdRlk lgk;rk %&

पंजीबद्ध चालको के परिवार के किसी सदस्य के बीमार होने पर शासकीय अस्पताल /स्वास्थ्य केन्द्रों में होने वाले चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति रूपये 20,000/- की सीमा तक प्रतिवर्ष, प्रति परिवार दी जावेगी । इस हेतु ''दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना'' के नियम व मापदण्ड लागू होगें । गंभीर बीमारी की स्थिति में उपरोक्त राशि के अतिरिक्त राज्य बीमारी सहायता निधि के तहत सहायता दी जावेगी तथा आवश्यकता होने

पर उपरोक्तानुसार दी जाने वाली राशि के अतिरिक्त मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान से भी सहायता दी जावेगी ।

¼fØ;kUo;u & ykd LokLF; ,o ifjokj dY;k.k foHkkx½

¼Q½ n?kVuk e eR;q dh fLFkfr e vuqxg lgk;rk %&

पंजीबद्ध हाथ ठेला एवं साइकिल रिक्शा चालक के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार हेतु रू. 2000/— की अनुग्रह सहायता परिवार के सदस्य को उपलब्ध करायी जावेगी ।

¼fØ;kUo;u & uxjh; iz'kklu ,o fodkl½

¼t½ tuJh chek ;kstuk %&

पंजीबद्ध चालकों के सामान्य मृत्य पर 30000/— रूपये, दुर्घटना में मृत्यु होने पर अथवा स्थायी रूपसे पूर्ण अपंगता पर 75000/— रूपये, दुर्घटना में एक ऑख या एक हाथ या एक पैर अक्षम होने पर रूपये 37500/— रूपये दिये जाने का प्रावधान है ।

¼fØ;kUo;u & lkekftd U;k; foHkkx½

e[;e=h 'kgjh ?kjsyw dkedkth efgyk dY;k.k ;kstuk 2009

1- ik=rk dh 'krsZ %&

ऐसी समस्त महिलाएँ जो जीविकोपार्जन हेतु शहरी क्षेत्रों में (असंगठित क्षेत्र) दूसरो के घरों में घरेलू कामकाज करती है उन्हें निकायों द्वारा पंजीकृत किया जाता है ।

2- ;kstuk dk Lo:i %&

नगरीय निकाय क्षेत्र में पंजीकृत शहरी घरेलू कामकाजी महिलाओं के कल्याण के लिए शासन द्वारा निम्न लिखित योजनाऐं में लाभ प्रदान किया जाता है :—

¼v½ Lo.kZ t;arh 'kgjh Lojkstxkj ;kstuk %&

राज्य शासन द्वारा पंजीबद्ध महिलाओं को कौशल उन्नयन विकसित किये जाने हेतु विभिन्न प्रकार के व्यवसाय के लिए (पार्ट टाईम) प्रशिक्षण दिलाया जाना प्रस्तावित है ।

सर्वेक्षितों की संख्या	पंजीयन की संख्या	वितरित परिचय पत्र
2420	2420	2420

¼fØ;kUo;u &uxjh; iz'kklu ,oa fodkl½

¼c½ izlfr lgk;rk %&

पंजीबद्ध शहरी घरेलू कामकाजी महिलाओं को अधिकतम दो प्रसूतियों के लिए निर्धारित कलेक्टर दर पर छः माह की मजदूरी के समतुल्य राशि पितृत्व अवकाश के रूप में 15 दिन की मजदूरी के समतुल्य राशि एवं प्रसूति व्यय के लिए रूपये 1000/— नगद भुगतान किया जावेगा ।

¼fØ;kUo;u & yksd LokLF; ,oa ifjokj dY;k.k foHkkx½

¼l½ fookg lgk;rk %&

पंजीबद्ध शहरी घरेलू कामकाजी महिलाओं को दो पुत्रियों की सीमा तक न्यूनतम 5 कन्याओं के सामूहिक विवाह के आयोजन में रूपये 6000/— प्रति विवाह सहायता प्रदान की जावेगी । यदि परिवार मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में लाभ ले रहा है तो पात्रता नहीं रहेगी ।

¼n½ Nk=ofRr@es/kkoh Nk= iqjLdkj %&

पंजीबद्ध शहरी घरेलू कामकाजी महिलाओं के बच्चों को ''मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना—2007'' में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप छात्रवृत्ति/मेधावी छात्र पुरूस्कार स्वीकृत किये जावेगें ।

¼fØ;kUo;u & vkfne tkfr ,oa Ldwy f'k{kk foHkkx½

¼t½ fpfdRlk lgk;rk %&

पंजीबद्ध शहरी घरेलू कामकाजी महिलाओं के परिवार के किसी सदस्य के बीमार होने पर शासकीय अस्पताल /स्वास्थ्य केन्द्रों में होने वाले चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति रूपये 20,000/— की सीमा तक प्रतिवर्ष, प्रति परिवार दी जावेगी । इस हेतु ''दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना'' के नियम व मापदण्ड लागू होगें । गंभीर बीमारी की स्थिति में उपरोक्त राशि के अतिरिक्त राज्य बीमारी सहायता निधि के तहत सहायता दी जावेगी तथा आवश्यकता होने पर उपरोक्तानुसार दी जाने वाली राशि के अतिरिक्त मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान से भी सहायता दी जावेगी ।

¼fØ;kUo;u & yksd LokLF; ,oa ifjokj dY;k.k foHkkx½

¼M½ n?kVuk e`R;q dh fLFkfr esa vuqxzg lgk;rk %&

पंजीबद्ध शहरी घरेलू कामकाजी महिलाओं के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार हेतु रू. 2000/– की अनुग्रह सहायता परिवार के सदस्य को उपलब्ध करायी जावेगी ।

¼fØ;kUo;u & uxjh; iz'kklu ,oa fodkl½

¼>½ tuJh chek ;kstuk %&

पंजीबद्ध शहरी घरेलू कामकाजी महिलाओं को सामान्य मृत्य पर 30000/– रूपये, दुर्घटना में मृत्यु होने पर अथवा स्थायी रूपसे पूर्ण अपंगता पर 75000/– रूपये, दुर्घटना में एक ऑख या एक हाथ या एक पैर अक्षम होने पर रूपये 37500/– रूपये दिये जाने का प्रावधान है ।

¼fØ;kUo;u & lkekftd U;k; foHkkx½

Jhefr lquhrk tSu
fM-dy-@i-ifj-vf/k-]ft-'k-fo-vfHk-]flouh